उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

परिपत्र

कमांक.. सी/6698..... जबलपुर, दिनांक 19/12/2014
तीन–19–12/89 (मुख्य)

मध्यप्रदेश राज्य में, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की जिला स्थापना तथा प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना अर्थात् दोनों न्यायिक जिला स्थापनाओं (District Establishments), के मध्य आपसी प्रशासनिक समन्वय हेतु, संलग्न रजिस्ट्री ज्ञापन कमांक सी/6697, दिनांक 19/12/2014 में संदर्भित परिपत्र एवं ज्ञापनों को अतिष्ठित करते हुए, निम्नानुसार एकजाई मार्गदर्शी निर्देश जारी किये जाते हैं :–

(1) यह एकजाई मार्गदर्शी निर्देश/स्कीम वर्ष 2015 से प्रभावशील होंगे।

(2) **प्रभार की व्यवस्था :**

प्रधान न्यायाधीश/अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय के अवकाश/अनुपस्थिति की दशा में, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय स्थापना का अत्यावश्यक/दैनिक नैमित्तिक न्यायिक एवं प्रशासकीय कार्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सम्पादित किया जावे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, मुख्यालय पर उपलब्ध वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उपरोक्तानुसार प्रभार देखा जावे। ऐसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, उपरोक्त उद्देश्य हेतु, कुटुम्ब न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश/अधिकारी माना जावे।

(3) **पदकम सूची का संधारण :**

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्थापना तथा प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना में, पूर्व से कार्यरत एवं नियुक्त होने वाले तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति के समान अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, दोनों स्थापनाओं की एकल पदकम सूची, जिला न्यायालय में, नियमानुसार संधारित कर, दोनों स्थापनाओं के कर्मचारियों की वरीयता निर्धारित की जावे।

(4) **प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों की पूर्ति/भर्ती/नियुक्ति/पदस्थापना/स्थायीकरण/पदोन्नति/अनुकंपा नियुक्ति आदि की कार्यवाही :**

–2–

19/12/14

(i) दोनों स्थापनाओं में, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पूर्ति भर्ती/नियुक्ति/पदस्थापना/स्थायीकरण/पदोन्नति/अनुकंपा नियुक्ति आदि की कार्यवाही जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा, तत्समय प्रयोज्य नियम/स्कीम/दिशानिर्देशों के अनुसार की जावे।

(ii) कुटुम्ब न्यायालय में लेखापाल, नायब नाजिर एवं सहायक ग्रेड–2 के पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों हेतु पदोन्नति एवं पदस्थापना की कार्यवाही जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा की जावे। उक्त पद न्यायिक जिला स्थापना के स्टाफ में से, नियमानुसार भरे जावें। कमशः पदोन्नति के अनुकम में होने वाली रिक्तियों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बंध में जारी नीति/दिशानिर्देशों के अनुसार भरा जावे।

(iii) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय की स्थापनाओं हेतु सृजित किये गये तृतीय, चतुर्थ श्रेणी एवं आकस्मिकता निधि से (कलेक्टर दर पर) वेतनभोगी कर्मचारियों के पदों का आवंटन किया जा चुका है। उक्त पदों पर नई भर्ती के कर्मचारियों की पदस्थापना उनकी नियुक्ति के समय ही, कुटुम्ब न्यायालय में ही की जावे।

(iv) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार के पूर्व प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय से विशेष प्रतिवेदन प्राप्त किया जावे। पदोन्नति समिति के समक्ष, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय द्वारा विशेष प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा एवं पूर्ववर्ती वर्षों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावलियां मुख्य आधार होंगे।

(v) नवस्थापित कुटुम्ब न्यायालयों में पदोन्नति के पद, प्रधान न्यायाधीश की पदस्थापना के समय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा भरे जावे। कुटुम्ब न्यायालय हेतु सृजित पदों पर भर्ती/नियुक्ति होने तक उचित संख्या में अन्य कर्मचारी भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उपलब्ध कराये जावें।

(5) कर्मचारियों का संलग्नीकरण (attachment) :

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की न्यायिक स्थापना/प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय की न्यायिक स्थापना में से किसी पर भी, सामान्यतया स्वीकृत पदों से अधिक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदस्थापनाएं, संलग्नीकरण इत्यादि के द्वारा नहीं की जावें। विशेष परिस्थितियों में/विशेष समयावधि हेतु आवश्यक होने पर, उपरोक्तानुसार कार्यवाही रजिस्ट्री से पूर्वानुमति प्राप्त कर की जा सकेगी।

–3–

19/12/14

(6) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना पर, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विभागीय जाँच एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही :

(i) म. प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अनुसार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अनुशासनात्मक प्राधिकारी) द्वारा विभागीय जाँच, अनुशासनिक एवं शास्तियाँ अधिरोपित करने की कार्यवाही की जावें।

(ii) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय द्वारा, कुटुंम्ब न्यायिक स्थापना में पदस्थ कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भिजवाये जाने पर, उनको कृत/प्रस्तावित कार्यवाही से 15 (पंद्रह) दिवस के अंदर अवगत कराया जावे। उपरोक्तानुसार 15 (पंद्रह) दिवस के भीतर अवगत नहीं कराये जाने पर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रजिस्ट्री के माध्यम से कार्यवाही कराने हेतु निवेदन कर सकेंगे।

(7) कर्मचारियों का स्थानांतरण :

अंतर जिला स्थानांतरण (inter district transfer)

(i) दोनों न्यायिक स्थापनाओं के कर्मचारियों के अंतर जिला स्थानांतरण हेतु सहमति/असहमति प्रदान करने की कार्यवाही जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा की जावे, परन्तु कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ कर्मचारी के अंतर जिला स्थानांतरण हेतु सहमति/असहमति दिये जाने के पूर्व प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय से अभिमत प्राप्त किया जावे, ऐसे अभिमत को सहमति/असहमति के साथ उच्च न्यायालय को भेजा जावे।

(ii) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय द्वारा, कुटुम्ब न्यायिक स्थापना में पदस्थ कर्मचारी के, प्रशासनिक आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण हेतु प्रस्ताव जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भिजवाये जाने पर, उनको कृत/प्रस्तावित कार्यवाही से 15 (पंद्रह) दिवस के अंदर अवगत कराया जावे। उपरोक्तानुसार 15 (पंद्रह) दिवस के भीतर अवगत नहीं कराये जाने पर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कार्यवाही हेतु रजिस्ट्री को प्रस्ताव प्रेषित कर सकेंगे।

जिले के भीतर अंतःस्थापना स्थानांतरण (intra establishment transfer)

IIHDJ ई (8)
साक्ष्य

(i) वार्षिक श्रृंखला में, दोनों स्थापनाओं पर, कर्मचारियों का जिले के भीतर अंतःस्थापना स्थानांतरण, जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जावे।

(ii) पदोन्नति पर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना में कर्मचारियों का स्थानांतरण, जिला एव सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जावे।

(iii) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना में, जहां एक से अधिक कुटुम्ब न्यायालय हैं, वहां कुटुम्ब न्यायालयों/अनुविभागों में, कार्य व्यवस्था के अंतर्गत, परस्पर (inter se), स्थानांतरण/पदस्थापना प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय द्वारा किये जावें। प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय का पद रिक्त होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही वरिष्ठ अपर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय द्वारा की जावे।

(iv) उपरोक्तानुसार वार्षिक श्रृंखला, पदोन्नति एवं परस्पर (inter se), स्थानांतरणों से भिन्न, कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ कर्मचारी का कुटुम्ब न्यायालय से जिला न्यायालय में अंतःस्थापना स्थानांतरण/वापसी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय के लिखित प्रस्ताव/लिखित सहमति के बगैर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा नहीं की जावे। दोनों के मध्य, 15 (पंद्रह) दिवस के भीतर आपसी सहमति नहीं बनने पर, स्थानांतरण/वापसी का प्रस्ताव, उच्च न्यायालय को अग्रेषित किया जा सकेगा।

(8) कर्मचारियों का अवकाश :

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना के कर्मचारियों के अवकाश संबंधी मामले, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय द्वारा व्यवहृत किये जावें।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

S/S
19/12/14
(एस0एस0 रघुवंशी)
रजिस्ट्रार (डी0ई0)